न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :**पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 155 सन 2022

अनवान :–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र मानदास जाति स्वामी निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रपाल पुत्र मनीराम जाति स्वामी निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. कमला पुत्री मनीराम जाति स्वामी निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. निकुमरा पुत्र मनीराम जाति स्वामी निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. पारीदेवी पत्नी मनीराम जाति स्वामी निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. महेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम जाति स्वामी निवासी असरजाना तहसील नोहर (हनुमानगढ)
6. महावीर पुत्र मनीराम जाति स्वामी निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
7. सरबती पुत्री मनीराम जाति स्वामी निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
9. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा सायल/प्रार्थी
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक :– 07/05/2024

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 108/108 के खसरा न0 109/2 की 1.5180हैक्ट व खसरा न0 109/7 की 1.2260हैक्ट व खसरा न0 118/2 की 4.0970हैक्ट कुल 6.8410हैक्ट भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण व गैरसायल ने लगभग 30 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से विभाजन करवा रखा है विभाजन के अनुसार खसरा न0. 109/2 की 1.5180हैक्ट व खसरा न0 109/7 की 1.2260हैक्ट व खसरा न0 118/2 की 4.0970हक्ट कुल 6.8410हैक्ट भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से में आई जिस पर सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण निर्वाद रूप से काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है तथा खसरा न0 109/3 की 5.4630हैक्ट व खसरा न0 130/1.0750हैक्ट कुल 6.5380हैक्ट भूमि गैरसायल को विभाजन में प्राप्त हुई है।

सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि को काफी मेहनत करके व धन खर्च कर उपजाउ बनाया हुआ है तथा खसरा न0 109/7 में टयूबैल लगा रखा है व खसरा न0 118/2 में मकान बना रखे है अब गैरसायलान के मन में लालच आ गया है और सायल व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि की सीव डोल तोडकर जबरन काबिज होना चाहते है तथा मकान टयूबैल तोडने की नियत में यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

सायल ने गेरसायल को कई बार कहा कि वह पूर्व में हुए विभाजन को स्वीकार कर लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार कर जाये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:52 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण की रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 108/108 की कुल 6.8410हैक्ट खाता संख्या 74/67 की 6.5380हैक्ट भूमि की सीव डोल तोडकर प्रवेश ना करे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को ज़रिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल संख्या 2 ,4 ,6 ता 8 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यावाही की गई गैरसायल संख्या 1, 3, 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

नामान्तकरण संख्या 146 दिनांक 05.08.1993 से विभाजन करवाया गया था जिसमें लादूराम खसरा न0 87 की 1.03 बीधा , खसरा न0 102 की 14 बीधा खसरा न0 109/1 की 7.10 बीधा , खसरा न0 118/1 की 6 बीधा कुल 27.18 बीधा भूमि हिस्से में आई व मनीराम को खसरा न0 109/3 की 23.13 बिधा भूमि , खसरा न0 130 की 4.05 बीधा कुल 27.17 बीधा भूमि प्राप्त हुई थी मानदान ने खसरा न0 109/2 की 11.14 बीधा , खसरा न0 118 की 16.04 बीध कुल 27.18 बीधा जिसमें से खसरा न0 109/2 की 11.14 बीधा एक जगह की पश्चिमी दिशा में दिया गया था तथा खसरा न0 109/3 की दो अलग अलग जगह दिया गया था जो विभाजन के मूल नक्शे में भी दर्ज है जबकि नहर निकलने से खसरा न0 109/2 की 0.215हैक्ट के नामान्तकरण दर्ज हो गया है तथा खसरा न0 109/3 में 0.506हैक्ट भूम नामान्तकरण दर्ज हुआ था ऑनलाईन जमाबन्दी करते समय सहवन से खसरों के नम्बरों में अदला–बदली हो गई है जिसमं से गैरसायलान संख्या 1 ता 7 का हक व हिस्सा कम दर्ज हो गया ऑनलाईन में खसरा न0 109/7 हो खसरा न0 1.265हेक्ट भूमि जो अन्य काश्तकार के दर्ज हो गया जबकि खसरा न0 109/7 की जगह खसरा न0 109/3 का लगभग 9.00 बीधा रकबा आता है खसरा न0 109/3 का रकबा दो अलग – अलग 14.09 बीधा का था जिससे 2.00 बीधा नहर के नाम दर्ज हो गया खसा न0 109/7 की भूमि मनीराम गैरसायल संख्या 1 ता 7 के मौरूसान के नाम दर्ज होनी चाहिये तथा खसरा न0 109/2 खसरों के पश्चिम दिशा में 11 बीधा कम दर्ज होना चाहिये था जबकि खसरा न0 109/2 का काश्तकार अपने मूल स्थन से अन्यत्र काश्त करता है तथा अपने मूल स्थान पर खसरा न0 109/2 पर काश्त क्षेत्र कम पर कर रहा है उक्त सहवन से जो अदला बदली हुई सम्बध में दिनांक 04.07.2022 को पटवारी हल्का द्वारा न्यायलय श्रीमान तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा दिनांक 07.07.2022 को उक्त जमाबन्दी दुरूस्त करने जाने के आदेश पारित किये गये थे उक्त आदेश की पालना में रूकावट पैदा करने के लिये सायल ने दावा व दरख्वास्त पेश किया है तथा सायल ने उपरोक्त तथ्यों को छुपाया है तथा सायल ने दरख्वासत में भूमि कानुनी व सही बातों का उल्लेख नही किया गया है रोही मौजा असरजाना के खसरा न0 109/7 की 1.2260हैक्ट भूमि के किसी श्रेणी के टिनेन्ट नही है उपरोक्त भूमि उनके नाम भी दर्ज नही है तथा मिन गैरसायल की भूमि है इसलिये दरख्वास्त सायल मिथ्या कथनों पर आधारित है जबाब प्रार्थनाा पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 1 ,3 ,5 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 108/108 के खसरा न0 109/2 की 1.5180हैक्ट व खसरा न0 109/7 की 1.2260हैक्ट व खसरा न0 118/2 की 4.0970हैक्ट कुल 6.8410हैक्ट भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण [illegible] रका खाता की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:52 IST
Reason: SelfAttested

सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण व गैरसायलान ने लगभग 30 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से विभाजन करवा रखा है विभाजन के अनुसार खसरा न0. 109/2 की 1.5180हैक्ट व खसरा न0 109/7 की 1.2260हैक्ट व खसरा न0 118/2 की 4.0970हक्ट कुल 6.8410हैक्ट भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से में आई जिस पर सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण निर्वाद रूप से

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है तथा खसरा न0 109/3 की 5.4630हैक् व खसरा न0 130/1.0750हैक् कुल 6.5380हैक् भूमि गैरसायल को विभाजन में प्राप्त हुई है।

सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि को काफी मेहनत करके व धन खर्च कर उपजाउ बनाया हुआ है तथा खसरा न0 109/7 में टयूबैल लगा रखा है व खसरा न0 118/2 में मकान बना रखे है अब गैरसायलान के मन में लालच आ गया है और सायल व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि की सीव डोल तोडकर जबरन काबिज होना चाहते है तथा मकान टयूबैल तोडने की फिराक में यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिय सायल गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

गैरसायल 1 ,3 ,5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की नामान्तकरण संख्या 146 दिनांक 05.08.1993 से विभाजन करवाया गया था जिसमें लादूराम खसरा न0 87 की 1.03 बीधा , खसरा न0 102 की 14 बीधा खसरा न0 109/1 की 7.10 बीधा , खसरा न0 118/1 की 6 बीधा कुल 27.18 बीधा भूमि हिस्से में आई व मनीराम को खसरा न0 109/3 की 23.13 बिधा भूमि , खसरा न0 130 की 4.05 बीधा कुल 27.17 बीधा भूमि प्राप्त हुई थी मानदान ने खसरा न0 109/2 की 11.14 बीधा , खसरा न0 118 की 16.04 बीध कुल 27.18 बीधा जिसमें से खसरा न0 109/2 की 11. 14 बीधा एक जगह की पश्चिमी दिशा में दिया गया था तथा खसरा न0 109/3 की दो अलग अलग जगह दिया गया था जो विभाजन के मूल नक्शे में भी दर्ज है जबकि नहर निकलने से खसरा न0 109/2 की 0.215हैक् के नामान्तकरण दर्ज हो गया है तथा खसरा न0 109/3 में 0.506हैक् भूम नामान्तकरण दर्ज हुआ था ऑनलाईन जमाबन्दी करते समय सहवन से खसरों के नम्बरों में अदला–बदली हो गई है जिसमं से गैरसायलान संख्या 1 ता 7 का हक व हिस्सा कम दर्ज हो गया ऑनलाईन में खसरा न0 109/7 हो खसरा न0 1.265हेक् भूमि जो अन्य काश्तकार के दर्ज हो गया जबकि खसरा न0 109/7 की जगह खसरा न0 109/3 का लगभग 9.00 बीधा रकबा आता है खसरा न0 109/3 का रकबा दो अलग – अलग 14.09 बीधा का था जिससे 2.00 बीधा नहर के नाम दर्ज हो गया खसा न0 109/7 की भूमि मनीराम गैरसायल संख्या 1 ता 7 के मौरूसान के नाम दर्ज होनी चाहिये तथा खसरा न0 109/2 खसरों के पश्चिम दिशा में 11 बीधा कम दर्ज होना चाहिये था जबकि खसरा न0 109/2 का काश्तकार अपने मूल स्थन से अन्यत्र काश्त करता है तथा अपने मूल स्थान पर खसरा न0 109/2 पर काश्त क्षेत्र कम पर कर रहा है उक्त सहवन से जो अदला बदली हुई सम्बध में दिनांक 04.07. 2022 को पटवारी हल्का द्वारा न्यायलय श्रीमान तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा दिनांक 07.07. 2022 को उक्त जमाबन्दी दुरूस्त करने जाने के आदेश पारित किये गये थे उक्त आदेश की पालना में रूकावट पैदा करने के लिये सायल ने दावा व दरख्वास्त पेश किया है तथा सायल ने उपरोक्त तथ्यों को छुपाया है तथा सायल ने दरख्वासत में भूमि कानुनी व सही बातों का उल्लेख नही किया गया है रोही मौजा असरजाना के खसरा न0 109/7 की 1.2260हैक् भूमि के किसी श्रेणी के टिनेन्ट नही है उपरोक्त भूमि उनके नाम भी दर्ज नही है तथा मिन गैरसायल की भूमि है इसलिये दरख्वास्त सायल मिथ्या कथनों पर आधारित है जबाब प्रार्थनाा पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण तथा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदीया, शपथ पत्र का अध्ययन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है क्या ऑनलाईन दर्ज करतें समय अदला बदली हुई है या नही तथा पूर्व में हुए विभाजन अनुसार [illegible] पर काबिज है अथवा नही व पक्षाकार किस प्रकार से भूमि पाने के अधिकारी है। [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:52 IST
Reason: SelfAttested

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि प्रार्थनापत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रोही मौजा असरजाना में अलग अलग खातों में सायल एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खातें में दर्ज है सायल का कथन है कि गैरसायलान उसके कब्जा काश्त जो पूर्व विभाजन में प्राप्त हुई थी पर काबिज है गैरसायल का कथन है कि ऑन लाईन जमाबन्दी दर्ज होते समय खसरों की अदला बदली हो गई जिसे संशोधन करने की कार्यवाही तहसीलदार के यहा चल रही थी जिसे रोकने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा ली गई है राजस्व रिकार्ड जमबान्दी को ऑनलाईन दर्ज करते हुए संशोधन किया जाना न्यायोचित है प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगणं के पक्ष मे पाया जाता है।

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं।

हस्तगत प्रकरण में सायल एवं गैरसायल पूर्व में मुश्तरका खातेदार काश्तकार थे जिनका खाता विभाजन होने पर अपने अपने हक हिस्से पर काबिज थे नहर निकलने एव जमाबन्दी ऑनलाईन होने के दौरान खसरा परिर्वतन हो गया जिसका विवेचन प्रथम दृष्टया मामला में किया जा चुका है सायल का कथन है कि गैरसायल उसकी टयूबबैल मकान को क्षति पहुचाना चाहते है व सीवडोल को तोडना चाहते है जिसके लिये अप्रार्थीगण को निदेर्शित किया जा सकता है कि जब तक जमाबन्दी संशोधन की कार्यवाही तहसीदार द्वारा नही की जाती तब तक सायल की भूमि में दखल नही करे व सील डोल को मिस्मार नही करे सम्पूर्ण अस्थाई निषेधाज्ञा रिकार्ड एवं मौका से किसी रिकार्डेड खातेदार का पाबन्द किया जाना उचित नही है अस्थाई निषेधाज्ञा से रिकार्ड संशोधन की कार्यवाही प्रभावित होती है अतः सुविधा का सन्तुलन सायल की अपेक्षा गैरसायल के पक्ष में पाया जाता है

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सम्बध में दिनांक 14.07.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर गैरसायल को रोही मोजा असरजान के खाता संख्या 108/108 की 6.8410हक भूमि की सीव डोल मिस्मार नही करने की जारी की गई थी

उक्त भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिस पर सायल ने इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई थी की गैरसायल सायल की भूमि की सीव डोल मिस्मार नही करे गैरसायल का कथन है कि जमाबन्दी ऑनलाईन होते समय खसरों की अदला बदली हो गई थी जिसके कारण सायल वाद भूमि का खातेदार दर्ज है संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है गैरसायल के कथनानुसार यदि जमाबन्दी संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है तो वह संशोधन होने तक सायल की भूमि की सीव डोल मिस्मार नही करे एवं जिसके लिये तहसीलदार को निर्देशित किया जा सकता है कि जमाबन्दी संशोधन की कार्यवाही में अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी बिना किसी आधार के रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है इसप्रकार वर्तमान स्थिति में अपुर्णीय क्षति का बिन्दु आंशिक तोर से सायल के पक्ष में पाया जाता है

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा जमाबन्दी संशोधन करने की कार्यवाही पर लागू नही होगी तथा गैरसायल जमाबन्दी संशोधन होने तक सायल की सीव डोल को मिस्मार नही करेगे तत्तपश्चात जमाबन्दी संशोधन अनुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को बोलकर लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)